फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– रूपाराम पुत्र बालूराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी लोरोली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– मांगीलाल पुत्र बालूराम उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी लोरोली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या... 90/2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.05.2025	प्रार्थी रूपाराम पुत्र बालूराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी लोरोली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मांगीलाल पुत्र बालूराम उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी लोरोली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री मो. अली शैरानी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे सरहद लोरोली के पुराने खसरा नं0 26 व नये खसरा नम्बर 170, 61, 64, 120, 121, 132, 173, 194, 218 व 219 की भूमि पर विक्रय/हस्तानान्तरण, निर्माण नहीं करेंगे एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 12.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 21/5/2025 पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली में राजीनामा होने से [illegible] का निवेदन किया। [illegible] हित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली [illegible] खारिज की जाकर [illegible] होकर [illegible] की जावे। Vikas	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner